

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 382]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 अगस्त 2013—भाद्र 2, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

अधिसूचना क्र. 59-एफ-1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

जिले का नाम (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	क्र. (3)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (4)
अलीराजपुर	चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाभरा).	1	श्री नाथू पिता श्री अमरा नि. वार्ड नं. 3, चमार टेकरी, आजाद नगर (भाभरा).
		2	श्री अजय पिता श्री हरिप्रसाद जायसवाल नि. वार्ड नं. 13, सोनी मोहल्ला, आजाद नगर (भाभरा).
जोबट		1	श्री जगदीश राठौर पिता श्री रामलाल राठौर नि. वार्ड नं. 8, सुभाष मार्ग, जोबट.
		2	श्रीमती योगिता पति श्री मनोज उपाध्याय नि. वार्ड नं. 9, जवाहर मार्ग, जोबट.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.